न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस.

अपील संख्या 13/2012 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2002/00004

1 गिरधारीराम पुत्र रामूराम जाति कुम्हार निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर (मृतक)

1/1 मोहनलाल
1/2 ओमप्रकाश
1/3 भंवरलाल
1/4 सोनी
1/5 छगनी
1/6 सुंदर
1/7 परमेश्वरी

} विरासत गिरधारीराम पुत्र रामूराम, जाति कुम्हार निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

1/8 बरजुदेवी बेवा गिरधारीराम पुत्र रामूराम, जाति कुम्हार निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर

2 आसूराम पुत्र रामूराम, जाति कुम्हार निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. मूलीदवी पत्नी जेठाराम ब्राह्मण निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. पेमाराम पुत्र रामूराम कुम्हार निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार द्वारा नायब तहसीलदार कोलायत जिला बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री दिनेश गहलोत अभिभाषक अपीलांट्स 1/1 से 1/8
श्री नायब सिंह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1

निर्णय

दिनांक 24.04.2024

यह अपील राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 01.11.2011 की पालना में इस न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निगरानी में निर्णय पारित करते हुए न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय दिनांक 11.05.2000 को अपास्त करते हुए अपील को इस न्यायालय में प्रतिप्रेषित की। राजस्व मण्डल राजस्थान के उक्त आदेश की पालना में पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर कर सुनवाई हेतु ली गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम दियातरा के खसरा नंबर 75 की 68 बीघा 7 बिस्वा अपीलांट संख्या 1 (मृत्तक) एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की संयुक्त पेतृक खातेदारी भूमि है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के संयुक्त कब्जा काश्त में स्थित हैं। सरपंच ग्राम पंचायत दियातरा इंतकाल संख्या 64 दिनांक 18.09.64 द्वारा खसरा नंबर 75 में से 36 बीघा अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पेमाराम पुत्र रामूराम के नाम दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पेमाराम पुत्र रामूराम ने अपने नाम से रिकॉर्ड में दर्ज 36 बीघा भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मूली देवी पत्नी जेठाराम को जरिये बैयनामा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 15.09.1993 को विक्रय कर दी। उक्त बैगनामे के आधार पर इंतकाल संख्या 796 दिनांक 26.10.1993 द्वारा क्रेता मूली देवी पत्नी जेताराम के नाम दर्ज किया गया। उक्त इंतकाल संख्या 796 के विरूद्ध अपीलांट ने अपील अति. जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की, जहां से उक्त अपील स्थानांतरित होकर उपखण्ड अधिकार (दक्षिण) बीकानेर में पेशी की गई। उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) बीकानेर आदेश दिनांक 29.07.1994 को उपरोक्त अपील अस्वीकार करते हुए इंतकाल संख्या 796 को यथावत रखा। उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) बीकानेर के आदेश दिनांक 29.07.1994 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर ने निर्णय दिनांक 11.05.2000 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) बीकानेर के निर्णय दिनांक 29.07.1994 में किसी प्रकार हस्तक्षेप न करते हुए अपील खारिज कर दी। अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय दिनांक 11.05.2000 विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की गई जिसे राजस्व अजमेर ने दिनांक 01.11.2011 को स्वीकार करते हुए कहा कि **Judgemet of learned Additional Divisional Commissioner, Bikaner dated 11.5.2000 is set aside and the matter is remitted back to learned Additional Divisional Commissioner, Bikaner for passing a reasoned judgment afresh, in the light of the aforementioned order dated 7.8.1997 passed by learned Single Bench of Board of Revenue.** राजस्व मण्डल आदेश दिनांक 01.11.2011 की पालना में अपील इस न्यायालय में दर्ज रजिस्ट्रर हुई।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दियातरा के खसरा नंबर 75 की 68 बीघा 7 बिस्वा अपीलांट संख्या 1 (मृत्तक) एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की संयुक्त पेतृक खातेदारी भूमि है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के संयुक्त कब्जा काश्त में स्थित हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि अकेले पेमाराम के पृथक खाते की मानकर कानूनी गलती की हैं। कानून खसरा नंबर 75 के संयुक्त खाते का विधिवत विभाजन किये बगैर इस खसरे की 36 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पृथक खाते में नही मानी जा सकती। अपीलांट्स अनपढ़ ग्रामीण है। जिन्हे कानून एवं रिकॉर्ड का कोई ज्ञान नही हैं। रिकॉर्ड जमाबंदी सवंत 2016 से 2019 में गिरधारी तथा पेमाराम दोनों टीनेन्ट का सयुक्त कब्जा काश्त अंकित हैं इसलिए खसरा नंबर 75 की पूरी भूमि अथवा किसी अंश पर धारा 15 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत दोनों ही टीनेन्ट पेमाराम तथा गिरधारी खातेदारी प्राप्त करने योग्य हैं इसलिए इंतकाल नंबर 64 दिनांक 18.09.1964 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत दियातरा ने इस खसरे की 36 बीघा भूमि पर अकेले पेमाराम को खातेदारी देने में कानूनी गलती की हैं। धारा 15 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अंतर्गत खातेदारी देने के अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं बल्कि तहसीलदार को प्राप्त है। इसलिए इंतकाल नंबर 64 शून्य एवं निस्प्रभावी होने के कारण पेमाराम का पृथक खाता माना नही जा सकता। जमाबंदी सवंत 2028 से 31, सवंत 2032 से 35, 2036 से 39, एवं सवंत 2041 से 44 में शेष भूमि 32 बीघा 7 बिस्वा गिरधारी के हिस्से की भूमि में फिर पेमाराम का आधा हिस्सा अंकित चला आ रहा हैं इससे स्पष्ट है कि पूर्व में खसरा नंबर 75 पर सयुक्त रूप से अंकित था। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अति. जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा रेफरेन्स संख्या 2/97/टीए/बीकानेर माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल में पेश की गई ज़ो दिनांक 07.08.1997 को स्वीकार करके वादग्रस्त भूमि

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

से संबंधित खातेदारी इंतकाल संख्या 64 ग्राम पंचायत दियातरा अवैध एवं क्षेत्राधिकार के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जा चुका है। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 7.8.1997 की पालना में तहसीलदार कोलायत ने दिनांक 03.01.1998 को राजस्व मण्डल के आदेश का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर इंतकाल नंबर 867 पूर्व खातेदारान पेमाराम तथा गिरधारीराम के नाम अंकित करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमलदरामद कर दिया गया है। अतः नायब तहसीलदार कोलायत द्वारा इंतकाल संख्या 796 दिनांक 26.10.1993 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जावे।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पेमाराम पुत्र रामूराम द्वारा ग्राम दियातरा की खाता संख्या 162 के खसरा नंबर 75/1 की 36 बीघा भूमि जरिये बैयनाम दस्तावेज 15.09.1993 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मूली देवी पत्नी जेठाराम को विक्रय की गई। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पेमाराम पुत्र रामूराम की स्वयं की भूमि हैं। रेस्पोडेंट संख्या 2 की खातेदारी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में को चुनौती पेश नही की गई है और ना ही खातेदारी निरस्त हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 खातेदार काश्तकार है। उसे अपनी खातेदारी भूमि बेचने का पूरा अधिकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जो बेयनामा किया है वह सही है और उक्त बैयनामे के आधार पर जो इंतकाल दर्ज किया गया है वह भी सही दर्ज किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अति. जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा रेफरेन्स संख्या 2/97/टीए/बीकानेर माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल में पेश की गई, उक्त रेफरेन्स दिनांक 07.08.1997 को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत दियातरा के इंतकाल संख्या 64 को निरस्त कर दिया। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश दिनांक 7.8.1997 की पालना में तहसीलदार कोलायत ने राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर इंतकाल नंबर 867 दिनांक 03.01.1998 में मूली देवी के स्थान पर पूर्व खातेदारों पेमाराम तथा गिरधारीराम के नाम अंकित करके राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर दिया।

उक्त परिपेक्ष्य में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के निर्णय दिनांक 7.8.1997 की पालना में तहसीलदार कोलायत द्वारा इंतकाल संख्या 867 दर्ज कर अपीलांट द्वारा अपील में चाहा गया अनुतोष पूर्व में ही दिया जा चुका है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मूली देवी के नाम से दर्ज इंतकाल संख्या 796 का कोई औचित्य नही रह जाता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार कोलायत का इंतकाल संख्या 796 दिनांक 26.10.1993 निरस्त किया जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/24.

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर